कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

पत्रांक– 1175 /14–1 (कैम्प चन्दौसी)दिनांक 28-11-2018

सेवा में,

श्री मनीष कुमार सिंह,
डिवीजनल मैनेजर,
एस्सार ऑयल लिमिटेड,
2314 तृतीय तल टावर–ए, दि कोरिएन्थम ए–41,
सेक्टर–62 नोयडा, उ0प्र0।

विषयः– सम्भल में आगरा–मुरादाबाद मार्ग (एन0एच0–93) नया एन0एच0–509 किमी0 186 चैनेज 186.180 की दांयी पटरी पर ग्राम–अफजलपुर डरौली के खसरा संख्या 683 पर मै0 नयारा एनर्जी लिमिटेड(पूर्व एस्सार ऑयल लिमिटेड) द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण की अनुमति।

सन्दर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रॉक 1028/सम्भल/33049/2018 दिनॉक लखनऊ 16.11.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जोकि वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद को सम्बोधित एवं अधोहस्ताक्षरी तथा आपको पृष्ठांकित है का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से विषयक प्रकरण में संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये है। उक्त सन्दर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आप पत्र में उल्लिखित सूचनाओं व अभिलेखों को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि विषयक प्रकरण में प्रभाग स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डी0के0 चतुर्वेदी)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

संख्या– 1175 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि– वन सरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद को उनके सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

(डी0के0 चतुर्वेदी)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

O/C

Download by EDS
Date – 19/11/18

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1028 / सम्भल / 33049 / 2018, दिनांक, लखनऊ, नवम्बर 16, 2018

सेवा में,

वन संरक्षक,
मुरादाबाद वृत्त,
मुरादाबाद।

विषय : सम्भल में आगरा–मुरादाबाद मार्ग (NH-93) नया NH-509 किमी० 186 चैनेज 186.180 की दायीं पटरी पर ग्राम–अफजलपुर डरौली के खसरा सं०–683 पर मे० नयारा एनर्जी लि० (पूर्व एस्सार ऑयल लि०) द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण की अनुमति।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक–1234 / 14–1, दिनांक 31.10.2018

महोदय,

विषयगत प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचनायें एवं अभिलेख पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

1– प्रस्ताव के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में प्रवेश मार्ग, निकासी मार्ग एवं मध्य भाग में अवस्थित कुल वृक्षों के सापेक्ष पातन किये जाने वाले वृक्षों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। संशोधित कर ऑनलाइन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

2– प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रभागीय वनाधिकारी की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में प्रभावित वनभूमि की श्रेणी अंकित नहीं की गयी है। संशोधित कर ऑनलाइन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

3– प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत गणना संलग्न नहीं है। संशोधित कर ऑनलाइन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

4– प्रवेश मार्ग, निकासी मार्ग एवं मध्य भाग में अवस्थित कुल वृक्षों का विवरण एवं उसके सापेक्ष पातन किये जाने वाले वृक्षों का विवरण स्पष्ट नहीं है। संशोधित कर ऑनलाइन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

5– प्रस्तावित वनभूमि की एन०पी०वी० जमा किये जाने की वचनबद्धता में भविष्य में दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुयी धनराशि जमा करने का उल्लेख अंकित नहीं किया गया है। संशोधित कर ऑनलाइन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

6– एन०पी०वी० की गणना के शीर्षक में एन०टी०पी०वी० अंकित है, जो त्रुटिपूर्ण है। संशोधित कर ऑनलाइन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

7– प्रस्ताव के साथ संलग्न ले–आउट प्लान पठनीय नहीं है। पठनीय ले–आउट प्लान प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

8– ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–4 पर वानस्पतिक घनत्व 0.02 अंकित है, जिसका आँकलन त्रुटिपूर्ण है। ऑनलाइन संशोधित कर पार्ट–2 की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

9– ऑनलाइन पार्ट–2 के Additional Information Details में प्रवेश मार्ग, निकासी मार्ग एवं मध्य भाग में अवस्थित कुल वृक्षों एवं पातन किये जाने वाले वृक्षों का विवरण अपलोड नहीं है।

10– ऑनलाइन पार्ट–2 पर प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति के स्थान पर वन संरक्षक को सम्बोधित पत्र अपलोड किया गया है, जो सुसंगत नहीं है।

11– प्रस्ताव के साथ संलग्न सी०डी० में प्रस्तावित स्थल एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की Kml File उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्तानुसार सूचनाओं व अभिलेखों को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं सूचनाओं व अभिलेखों को पूर्ण कर तदनुसार विषय सूची अपडेट कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
16/11/18
(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद
क्रमांक– 2625 / 14-1
दिनांक– 26/11/18

पत्रांक– / उक्त दिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल को इस आशय से प्रेषित कि वांछित सूचना एवं अभिलेख पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, मुरादाबाद को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि श्री मनीष कुमार सिंह, डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि०, 2314 तृतीय तल टावर–ए, दि कोरिएन्थम, ए–41, से०–62 नोएडा को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना व अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी सम्भल को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।

पत्रांक– 2625 / 14-1, दि०– 26/11/18

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी सम्भल को इस आशय से प्रेषित कि आप उपरोक्तानुसार सूचनाओं व अभिलेखों को पूर्ण करने हेतु नोडल अधिकारी कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ प्राप्त करा लें, एवं सूचनाओं व अभिलेखों को पूर्ण कर तदनुसार विषय सूची अपडेट कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि इस प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके। अन्यथा विलम्ब की स्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।

वनभूमि हस्तान्तरण
उ०प्र०
एस०डी०
26/11/2018